आय–व्ययक 2010–11 की मुख्य विशेषताएँ

(अ)–बजट प्राविधान व राजकोषीय संकेतकः–

- बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है।
- आय–व्ययक में कुल प्राप्तियाँ रु0 14821.67 करोड़ अनुमानित हैं, जो गत वर्ष के आय–व्ययक अनुमान रु0 13909.16 करोड़ से रु0 912.51 करोड़ अधिक है।
- कुल व्यय रु0 15451.95 करोड़ अनुमानित है, जो गत वर्ष के आय–व्ययक अनुमान रु0 14737.38 करोड़ से रु0 714.57 करोड़ अधिक है।
- वर्ष 2010–11 के प्रस्तावित आय–व्ययक में रु0 162.10 करोड़ राजस्व अधिशेष (सरप्लस) होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में राजस्व घाटा रु0 213.44 करोड़ अनुमानित था।
- वर्ष 2010–11 के प्रस्तावित आय–व्ययक में राजकोषीय घाटा रु0 1747.15 करोड़ होने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.41 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में राजकोषीय घाटा रु0 2070.99 करोड़ अनुमानित था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56 प्रतिशत था।
- प्रारम्भिक शेष को लेते हुए वर्ष 2010–11 का अन्तिम शेष रु0 4.72 करोड़ धनात्मक अनुमानित है।
- वर्ष 2007–08 में जैण्डर बजटिंग प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत 18 विभागों की योजनाओं के लिए रु0 333.00 करोड़ की व्यवस्था थी जिसे इस वर्ष 26 विभागों में विस्तारित करते हुए रु0 1417.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

(ब)–कर सुधार तथा कर दरों का युक्तिकरण (रेशनलाईजेशन):–

- ❖ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने हेतु मिट्टी तेल पर वर्तमान 12.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।
- ❖ खादी ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित दियासलाई, आतिशबाजी, मोमबत्ती, कपूर, गोंद व राल, नारियल की जटा से भिन्न रेसा, हाथ से निर्मित कागज, कागज बोर्ड, फाईल कवर, फाईल बोर्ड, ड्राइंग पेपर, बधाई–पत्र, आमंत्रण–पत्र को पूर्णतया वैट मुक्त किया जायेगा।
- ❖ प्रदेश के किसानों के हित में थ्रैसर पर 4 प्रतिशत वैट को पूरी तरह समाप्त किया जायेगा।
- ❖ हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाथ से बुने ऊनी दन एवं गलीचों (कारपेट) को पूर्णतया वैट मुक्त किया जायेगा।
- ❖ छात्र–छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए लेखन स्याही (राईटिंग इंक) पर 4 प्रतिशत वैट को पूर्णतः समाप्त किया जायेगा।
- ❖ टैक्सटाइल वेस्ट एवं कॉटन वेस्ट, जो सामान्यतया आम जन द्वारा उपयोग किये जाने वाले गद्दे, तकिये आदि में प्रयोग किये जाते हैं, पर 12.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।
- ❖ अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय पर वर्तमान में देय 7 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत किया जायेगा।
- ❖ किसानों के हित में कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क में छूट की अवधि दिनांक 31–3–2011 तक बढ़ाई जायेगी तथा छूट हेतु वर्तमान में अनुमन्य ऋण सीमा रु0 3 लाख को बढ़ाकर रु0 5 लाख की जायेगी।
- ❖ केबिल टी0वी0 पर मनोरंजन कर को कम कर घरेलू कनेक्शन के लिए रु0 20 प्रतिमाह तथा व्यावसायिक कनेक्शन के लिए रु0 40 प्रतिमाह किया जायेगा।
- ❖ पुराने सिनेमा घरों की कठिनाईयों तथा उनके बन्द होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उनके पुनरुत्थान के लिए पुराने सिनेमा घरों के स्थान पर नये सिनेमा घरों के निर्माण की अनुमति दी जायेगी।

स– अन्य योजनाएँ:–

- ❖ मुजफ्फरनगर–रुड़की रेल लाईन के निर्माण हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 20 करोड़ की व्यवस्था है।
- ❖ विद्युत वितरण कार्यों में सुधार हेतु दस हजार से अधिक आबादी वाले 31 शहरों में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना क्रियान्वित कर विद्युत लाईन से होने वाली विद्युत क्षति को कम करते हुए विद्युत की उपलब्धता बढ़ाई जायेगी।
- ❖ जमरानी बांध परियोजना जो गत 30–35 वर्षों से लम्बित है, को शुरू किया जाएगा।
- ❖ मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से कम आबादी वाले गांवों के लिए सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जायेगा।
- ❖ लक्सर, डोईवाला आदि स्थानों में रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज बनाये जा रहे हैं, जो शीघ्र पूर्ण हो जायेंगे। इसी क्रम में देहरादून में मोहकम्मपुर के निकट रेलवे ओवर ब्रिज सहित प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की पहल की जायेगी।
- ❖ निराश्रित एवं मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह की स्थापना की जायेगी।
- ❖ कूड़ा बीनकर जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी एवं छात्रावास स्थापित किया जायेगा।
- ❖ आर्थिक रूप से अत्यन्त गरीब आवासहीन परिवारों, जिनकी वार्षिक आय रु0 32000 से कम हो तथा जो बी0पी0एल0 से आच्छादित नहीं हैं, को ''अटल आवास योजना'' के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
- ❖ पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तद्र्थ 'कैम्पा' के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में बद्रीश वन, इको टूरिज्म, नक्षत्र वन व ग्रीन सिटी आदि योजनाओं हेतु रु0 82.00 करोड़ व्यय किया जायेगा।
- ❖ पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, देहरादून तथा सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट, देहरादून एवं रुड़की में

कार्डियक यूनिट और काशीपुर, ऋषिकेश, रुड़की व कोटद्वार में ट्रॉमा सेन्टर, कोटद्वार एवं पिथौरागढ़ में सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 तथा डाइगनोस्टिक केन्द्र को लोक निजी सहभागिता आधार पर संचालित किया जायेगा।

- ❖ मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, जहाँ प्रति वर्ष 100 बच्चे एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश लेते हैं, का राजकीयकरण किया जायेगा।
- ❖ प्रदेश का पहला नर्सिंग कॉलेज देहरादून में 2010–11 में प्रारम्भ हो जायेगा। पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में भी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे। भविष्य में अल्मोड़ा, टिहरी एवं चमोली में भी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
- ❖ प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के क्रम में राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- ❖ बालिका शिक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन हाई स्कूल स्तर तक किया जा रहा है। साथ ही आवासीय विद्यालयों के रूप में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों में 50 प्रतिशत स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।
- ❖ तहसील स्तर पर नाना जी देशमुख आदर्श आवासीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी जिनमें यथा आवश्यकता निजी सहयोग भी लिया जायेगा ताकि दूरदराज के निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के उन्नयन हेतु उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सके।
- ❖ प्रदेश के पहले विशिष्ट एवं उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित दून विश्वविद्यालय में वर्ष 2009–10 में दो विषय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2010–11 में तीन और विषय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया जायेगा।
- ❖ उच्च स्तर की प्रबन्धन शिक्षा के लिए आई0आई0एम0 तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए एन0आई0टी0 की स्थापना शीघ्रता से की जायेगी।
- ❖ उत्तराखण्ड को पर्यटक आकर्षण केन्द्र बनाने हेतु अन्य योजनाओं के साथ–साथ पर्यटन सर्किट एवं मेगा सर्किट स्वीकृत किये जायेंगे।

- ❖ देश का पहला सबसे बड़ा फूड एवं हर्बल पार्क हमारे प्रदेश में स्थापित हुआ है। इसी क्रम में पहाड़ के पानी व जवानी के सदुपयोग हेतु जड़ी–बूटी का उत्पादन, दोहन तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।
- ❖ कृषि सेवाओं को न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी।
- ❖ वर्ष 2008 की नीति के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन किया गया है जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई है। हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किशाऊ बाँध एवं लखवाड़ बहुद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- ❖ नदियों के संरक्षण, संवर्द्धन तथा उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान चलाया जायेगा।
- ❖ पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की सुगमता हेतु सैनिक कल्याण निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में टौल फ्री फोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- ❖ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, छात्रवृत्ति के लिए रु0 16.35 करोड, मुस्लिम एजुकेशन मिशन के लिए रु0 25 लाख तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत रु0 25 करोड़ का प्राविधान है।
- ❖ पं0 दीन दयाल उपाध्याय 108 आपात कालीन सेवा को और अधिक उपयोगी बनाने तथा इसकी पहुँच बढ़ाने के लिए मोटर साईकिलों का भी प्रयोग किया जायेगा।
- ❖ प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों, कवियों की कृतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- ❖ पत्रकारों हेतु आवासीय भूमि व आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारपुरम् की स्थापना की कार्यवाही की जायेगी।

———